उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तषासी निकाय, विष्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाश : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : uauaffiliation@gmail.com

पत्रांक 3529/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2021–22 दिनांक : 11/3/2022

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र 2020–21

विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या 1975/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2020–21 दिनांकित 27.10.2020 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट/संस्तुति एवं आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष मंत्रालय) भारत सरकार की संस्तुति/स्वीकृति पत्र सख्या No.L.14014/296/2019-EP-1 दिनांक 09.02.2021 के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क0 सं0	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
1	हिमालयीय आयुर्वेदिक पी0जी0 मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, डोईवाला, देहरादून ।	**बी0ए0एम0एस0**	**60 सीट**	**शैक्षणिक सत्र 2020–21** हेतु अस्थाई सम्बद्धता ।
		एम0डी0/एम0एस0	**24–सीट** 1–रचना शरीर –06 2–क्रिया शरीर –06 3–द्रव्यगुण –06 4–पंचकर्म –06	

2. संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।

3. संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति होने की पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

4. संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

5. छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का दल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति (NOC) को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

P.T.O.

7. संस्थान में कार्यरत फेकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्थान द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्थान के संबंधित पाठ्यक्रम रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
8. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

9. पाठ्यक्रम क सम्बन्ध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर सूचना विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

10. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्थान द्वारा उसका पालन भी किया जाना होगा।

11. संस्थान पर सत्र 2020–21 का सम्बद्धता विस्तारण शुल्क रू0 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) बकाया है।

उक्त आदेश मा0 कुलपति महोदय की सहमति/अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(डॉ0 राजेश कुमार)
कुलसचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून।
6. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. **प्राचार्य/अधीक्षक, हिमालयीय आयुर्वेदिक पी0जी0 मेडिकल कॉलेज, डोईवाला, देहरादून।**
9. गार्ड फाईल।

(डॉ0 राजेश कुमार)
कुलसचिव